[2024] 11 एस.सी.आर. 835: 2024 आइएनएससी 886

के.एस. मुरलीधर

बनाम

आर. सुब्बालक्ष्मी एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 12993/2024)

(22 नवंबर 2024)

[सी.टी. रविकुमार एवं संजय करोल, न्यायाधीश]

विचारणीय मुद्दा

यह मामला एक मोटर दुर्घटना पीड़ित, जिसने 100% दिव्यांगता (विकलांगता) झेली है, के लिए वेदना एवं कष्ट के मद में क्षतिपूर्ति की वृद्धि से संबंधित है।

शीर्ष टिप्पणियां

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - मोटर दुर्घटना - क्षतिपूर्ति की वृद्धि - 40 वर्ष से कम आयु का पीड़ित, अपनी कंपनी के वाहन में यात्रा करते समय एक ऐसे कंटेनर लॉरी से टकरा गया जिसे लापरवाही एवं उतावलेपन से चलाया जा रहा था - पीड़ित को 90% स्थायी दिव्यांगता हुई - अधिकरण ने कार्यात्मक दिव्यांगता 100% मानते हुए 6% वार्षिक ब्याज सहित ₹58,09,930/- की क्षतिपूर्ति तथा ₹1,00,000/- भविष्य के चिकित्सा व्यय के रूप में प्रदान की - उच्च न्यायालय ने भावी संभावनाओं की हानि 40% मानते हुए 6% वार्षिक ब्याज सहित ₹78,16,390/- क्षतिपूर्ति प्रदान की - चुनौती:

अभिनिर्धारित: दावेदार को हुई चोटें गंभीर हैं और उनका उसके जीवन पर प्रभाव दीर्घकालिक, बल्कि आजीवन है - अधिकरण तथा उच्च न्यायालय, दोनों ने दावेदार द्वारा झेली गई दिव्यांगता को 100% मानना उचित किया - हुई चोटों, उससे उत्पन्न 'वेदना एवं कष्ट', दावेदार

पर आई आजीवन दिव्यांगता तथा चिकित्सक के कथन को देखते हुए, दावेदार का मामला न्यायोचित है - 'वेदना एवं कष्ट' के मद में ₹15,00,000/- प्रदान किए गए, यह ध्यान में रखते हुए कि दावेदार द्वारा क्षतिपूर्ति वृद्धि की प्रार्थना ₹10,00,000/- की थी - प्रदत्त क्षतिपूर्ति न्यायसंगत, उचित एवं युक्तिसंगत है - उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अवार्ड में केवल दो बिंदुओं पर संशोधन किया गया, अर्थात् भावी संभावनाएँ तथा 'वेदना एवं कष्ट' - प्रदत्त की जाने वाली क्षतिपूर्ति ₹87,29,241/- निर्धारित की गई - अतः कुल देय राशि ₹1,02,29,241/- है। [पैरा 11, 12, 15, 16]

शब्द एवं वाक्यांश - 'वेदना एवं कष्ट' की परिभाषा

व्याख्या:

अभिनिर्धारित: यद्यपि जैव-नीतिशास्त्र, चिकित्सा-नीतिशास्त्र, मनो-ऑन्कोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र आदि प्रत्येक अनुशासन में अपने-अपने क्षेत्र में वेदना/कष्ट के अर्थ की भिन्न अवधारणा है, तथापि जो समान तत्व उभरकर आता है वह यह है कि निरंतर कष्ट के कारण व्यक्ति की स्वयं के प्रति समझ अपनी मूल जड़ों तक हिल जाती है या प्रभावित हो जाती है - जीवन में कुछ अपरिवर्तनीय रूप से गलत होने का भाव, असुरक्षा तथा निरर्थकता का अनुभव बना रहता है और ऐसा भाव उसके शेष प्राकृतिक जीवन भर विद्यमान रहता है। [पैरा 13]

मोटर दुर्घटना - क्षतिपूर्ति - न्यायसंगत क्षतिपूर्ति - अवधारणा:

अभिनिर्धारित: न्यायसंगत क्षतिपूर्ति की अवधारणा 'restitutio ad integrum' के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है यथासंभव मूल स्थिति में पुनर्स्थापन, अर्थात जिस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है उसे उस स्थिति में ले जाना मानो वह घटना, या इस मामले में दुर्घटना, कभी हुई ही न हो - तथापि इसकी कुछ सीमाएँ हैं - क्षतिपूर्ति का प्रदान किया जाना, चाहे वह कितनी भी हो, प्रभावित व्यक्ति के जीवन को पूर्ववत नहीं कर सकता, बल्कि केवल आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त करने की चिंता को कुछ हद तक कम करता है। [पैरा 1]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी [2017] 13 एससीआर 100 : (2017) 16 एससीसी 680; बेंसन जॉर्ज बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य [2022] 1 एससीआर 653 : (2022) 13 एससीसी 142; परमिंदर सिंह बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [2019] 8 एससीआर 986 : (2019) 7 एससीसी 217; लालन डी. बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2020) 9 एससीसी 805; आर. डी. हट्टंगडी बनाम पेस्ट कंट्रोल (इंडिया) (प्रा.) लिमिटेड [1995] 1 एससीआर 75 : (1995) 1 एससीसी 551; सिद्राम बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [2022] 8 एससीआर 403 : (2023) 3 एससीसी 439; कर्नाटक एसआरटीसी बनाम महादेवा शेट्टी [2003] सप्ली. 2 एससीआर 14 : (2003) 7 एससीसी 197; काजल बनाम जगदीश चंद [2020] 3 एससीआर 622 : (2020) 4 एससीसी 413; आयुष बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस [2022] 1 एससीआर 831 : (2022) 7 एससीसी 738 - संदर्भित।

हस्साम एवं अन्य बनाम राबोट एवं अन्य (2024) यूकेएससी 11; हील बनाम रैंकिन [2001] क्यूबी 272; अटॉर्नी जनरल ऑफ सेंट हेलेना बनाम ए.बी. एवं अन्य, प्रिवी काउंसिल अपील संख्या 0034 वर्ष 2018 - संदर्भित।

पुस्तकें एवं आवधिक पत्रिकाएँ उद्धृत

पी. रामनाथ अय्यर का एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन, तृतीय संस्करण, पुनर्मुद्रण 2009; एरिक कैसल, लेक्सिस नेक्सिस, बटरवर्थ्स वाधवा, पृष्ठ 3441; नोए-स्टाइनम्युलर एवं अन्य, (2024) 165 (7) : पृष्ठ 1434-1449 - संदर्भित।

वेबसाइट्स की सूचि

http://www.ericcassell.com/bio.html ;https://med.uth.edu/ oep/members-2/eugene-v-boisaubin-md/ ; https://sps.columbia.edu/faculty/arthur-w-frank-phd; https://www.mun.ca/ medicine/faculty-and-staff-resources/faculty-a-z/pullman-daryl. Php - संदर्भित

अधिनियमों की सूची

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860

प्रमुख शब्दों की सूची

वेदना एवं कष्ट के मद में क्षतिपूर्ति की वृद्धि; मोटर दुर्घटना; पीड़ित को 100% दिव्यांगता; क्षतिपूर्ति; कार्यात्मक दिव्यांगता 100% के रूप में; भविष्य के चिकित्सा व्यय; भावी संभावनाओं की हानि; वेदना एवं कष्ट; जीवन में अपरिवर्तनीय रूप से गलत स्थिति; असुरक्षा एवं निरर्थकता; न्यायसंगत क्षतिपूर्ति; न्यायसंगत क्षतिपूर्ति की अवधारणा; 'restitutio ad integrum' का सिद्धांत; क्षतिपूर्ति का प्रदान किया जाना।

मामले की उत्पत्ति

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील संख्या 12993 वर्ष 2024

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा एमएफए संख्या 2573 वर्ष 2016 में दिनांक 12.11.2020 को पारित निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न।

अधिवक्तागण

रोहन ठवानी, सुश्री पूजा धर, अधिवक्ता – अपीलकर्ता की ओर से।

टी. महिपाल, रोहित कुमार सिन्हा, संजय कुमार सिंह, अधिवक्ता – उत्तरदाता की ओर से।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय / आदेश

<u>आदेश</u>

संजय करोल, न्यायाधीश

1. अनुमति प्रदान की गयी।
2. न्यायसंगत क्षतिपूर्ति की अवधारणा 'restitutio ad integrum' के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है यथासंभव मूल स्थिति में पुनर्स्थापन, अर्थात जिस व्यक्ति को हर्जाना प्रदान किया जाता है उसे उस स्थिति में लाना मानो वह घटना, या इस मामले में दुर्घटना, कभी हुई ही न हो। यद्यपि यह विधि का एक सुव्यवस्थित एवं सकारात्मक सिद्धांत है, तथापि इसकी सीमाओं को भी स्वीकार करना आवश्यक है। क्षतिपूर्ति का प्रदान किया जाना, चाहे वह कितनी भी हो, प्रभावित व्यक्ति के जीवन को पूर्ववत नहीं

कर सकता, बल्कि केवल आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त करने की चिंता को कुछ हद तक कम करता है।

3. गैर-आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान करते समय, इस न्यायालय ने प्रायः गणना की कठिनाई को रेखांकित किया है, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे इस प्रकार का निर्धारण किसी निश्चित सूत्र के आधार पर किया जा सके। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सपनों की प्राप्ति, निर्धारित लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रयासरत रहता है, और जब वह ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में पहुँचता है, जहाँ उसकी किसी भी गलती के बिना उसके जीवन की दिशा सदा के लिए परिवर्तित हो जाती है। यद्यपि लिखित रूप में यह बातें अमूर्त प्रतीत होती हैं, तथापि ये तत्व 'वेदना एवं कष्ट' का एक महत्वपूर्ण भाग बनते हैं, जो उस प्रत्यक्ष दिव्यांगता के अतिरिक्त होता है, जिसे अन्य व्यक्ति देख सकते हैं।

4. यह अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा एम.एफ.ए. संख्या 2573 वर्ष 2016 (एमवी) में दिनांक 12 नवंबर 2020 को पारित अंतिम निर्णय एवं आदेश से उत्पन्न होती है। उक्त विविध प्रथम अपील, आगे चलकर, बेंगलुरु स्थित लघु वाद न्यायालय के IX अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश द्वारा एम.वी.सी. संख्या 3955 वर्ष 2009 में दिनांक 17 अप्रैल 2015 को पारित अवार्ड के विरुद्ध दायर की गई थी।1

5. वर्तमान विवाद के निर्णय हेतु कुछ पूर्व घटनाओं का स्मरण आवश्यक है।

   5.1 दिनांक 22 अगस्त 2008 को, अपीलकर्ता अपने कंपनी के वाहन, जिसका पंजीकरण संख्या KA-02-D-9626 है, से अपने कार्यस्थल, जो होस्कोटे के कसबा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है, की ओर जा रहा था। मार्ग में, उक्त वाहन एक कंटेनर लॉरी, जिसका पंजीकरण संख्या TN-04-D-1047 है, से टकरा गया, जिसे कथित रूप से उतावलेपन एवं लापरवाही से चलाया जा रहा था।

   5.2 प्राप्त चोटें 90% स्थायी दिव्यांगता तक थीं (जैसा कि दावेदार-अपीलकर्ता द्वारा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया), अर्थात्,

   "1. C-7 के ऊपर कशेरुका का फ्रैक्चर तथा अग्र विस्थापन।

   2. सर्वाइकल स्पाइन में C-6 का C-7 के ऊपर विस्थापन पाया गया।

   C-7 में दोनों ट्रांसवर्स प्रोसेस का फ्रैक्चर तथा

   3. C-6 में दोनों लैमिना एवं बॉडी का फ्रैक्चर।"

5.3 होस्कोटे पुलिस ने लॉरी चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराएँ 279, 337 एवं 338 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए अपराध संख्या 414 वर्ष 2008 दर्ज किया है।

5.4 अधिकरण के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दावेदार-अपीलकर्ता होस्कोटे स्थित एल.एम. ग्लासफाइबर (इंडिया) प्रा. लि. में एक श्रमिक के रूप में कार्यरत था, जहाँ वह ₹28,221/- प्रति माह का सकल वेतन प्राप्त करता था। उक्त रोजगार के अतिरिक्त, वह भारतीय जीवन बीमा निगम का एक एजेंट भी था, जिससे उसे प्रति वर्ष ₹30,000/- से ₹40,000/- तक का कमीशन प्राप्त होता था।

5.5 पक्षकारों के तर्क सुनने के पश्चात, अधिकरण ने दो मुद्दे निर्धारित किए–एक लॉरी के उतावले एवं लापरवाह संचालन से संबंधित तथा दूसरा क्षतिपूर्ति की राशि और उसके भुगतान के उत्तरदायित्व से संबंधित।

5.6 अधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि लॉरी वास्तव में उतावलेपन एवं लापरवाही से चलाई जा रही थी और क्षतिपूर्ति के संबंध में यह निर्धारित किया गया कि वहाँ के उत्तरदाता संख्या 2 (न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) उक्त राशि ₹58,09,930/- का, 6% वार्षिक ब्याज सहित (₹1,00,000/- के भविष्य के चिकित्सा व्यय को छोड़कर), याचिका की तिथि से भुगतान तक, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

6. उक्त आदेश से आहत होकर, बीमा कंपनी तथा दावेदार-अपीलकर्ता, दोनों ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

6.1 न्यायालय ने यह अभिमत व्यक्त किया कि अधिकरण द्वारा कार्यात्मक दिव्यांगता को 100% मानना उचित था तथा दावेदार-अपीलकर्ता को उसके नियोक्ता द्वारा प्रदत्त ₹6,61,371/- की क्षतिपूर्ति में से कटौती न करना भी सही था।

6.2 भावी आय की हानि के संबंध में यह माना गया कि दावेदार-अपीलकर्ता, चूँकि उसकी आयु 40 वर्ष से कम थी, इस मद में 40% का हकदार है। उक्त राशि ₹70,22,520/- निर्धारित की गई। अंततः, अन्य मदों को भी ध्यान में रखते हुए, कुल क्षतिपूर्ति ₹78,16,390/- निर्धारित की गई, जो अधिकरण द्वारा प्रदान की गई ₹58,09,930/- की राशि से अधिक है।

6.3 बीमा कंपनी को यह निर्देश दिया गया कि वह चार सप्ताह के भीतर राशि जमा करे, जिसमें भविष्य के चिकित्सा व्यय के मद में प्रदान की गई क्षतिपूर्ति पर ब्याज शामिल नहीं होगा। ब्याज दर 6% यथावत रखी गई।

7. इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय एवं आदेश से असंतुष्ट होकर, दावेदार-अपीलकर्ता हमारे समक्ष उपस्थित है।

8. वाद-प्रतिवाद के दौरान, दावेदार-अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि:

(i) यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय ने भावी संभावनाओं को 50% के स्थान पर 40% मानकर त्रुटि की है, जबकि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी के अनुसार 50% लिया जाना चाहिए था;

(ii) 'वेदना एवं कष्ट' के मद में उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई क्षतिपूर्ति 100% कार्यात्मक दिव्यांगता को देखते हुए अपर्याप्त है। यह तर्क दिया गया कि क्षतिपूर्ति को ₹10,00,000/- तक बढ़ाया जाना चाहिए, जिसके समर्थन में बेंसन जॉर्ज बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य के निर्णय पर, विशेषतः उसके पैरा 20 पर, भरोसा किया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, दावेदार को लगी बहुस्तरीय मस्तिष्क चोटों/अन्य चोटों के कारण वह अचेत (कोमा की स्थिति में) एवं शैय्याग्रस्त हो गया था, अतः ₹10,00,000/- को बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया गया और उसे युक्तिसंगत माना गया;

(iii) अधिकरण ने भविष्य के चिकित्सा व्यय के मद में ₹1,00,000/- प्रदान किए, जिसे उच्च न्यायालय ने बिना किसी विचार-विमर्श के यथावत रखा। इस मद के अंतर्गत भी यह प्रस्तुत किया गया कि परमिंदर सिंह बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा लालन डी. बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के दृष्टांत में क्षतिपूर्ति को ₹10,00,000/- तक बढ़ाया जाना चाहिए।

9. दुर्घटना के समय दावेदार-अपीलकर्ता की आयु 37 वर्ष थी।8 भावी संभावनाओं की गणना इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (उपर्युक्त) के पैरा 59.3 में प्रतिपादित विधि के अनुसार की जानी है, जिसमें इस संबंध में निष्कर्ष इस प्रकार अभिलिखित है:

"59.3 आय का निर्धारण करते समय, यदि मृतक की स्थायी नौकरी थी और उसकी आयु 40 वर्ष से कम थी, तो भावी संभावनाओं के मद में वास्तविक वेतन का 50% उसकी आय में जोड़ा जाना चाहिए। यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी, तो यह वृद्धि 30% होगी। यदि मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, तो यह वृद्धि 15% होगी। 'वास्तविक वेतन' से अभिप्राय कर की कटौती के पश्चात का वास्तविक वेतन होगा।"

10. यह प्रस्तुत किया गया कि दावेदार-अपीलकर्ता का रोजगार स्थायी प्रकृति का था, अतः उपर्युक्त के अनुसार भावी आय की हानि की गणना 50% के आधार पर की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने निर्णय के पैरा 23 में यह उल्लेख किया है कि दावेदार-अपीलकर्ता की कुल आय ₹27,867/- प्रति माह थी। इसका 50% ₹13,933/- होता है। अतः उसकी आय ₹41,800/- (27,867 + 13,933) हो जाती है।उपर्युक्त गणना के आधार पर, भावी संभावनाओं की हानि के मद में क्षतिपूर्ति ₹41,800 × 12 × 15 × 100% = ₹75,24,000/- होगी, जबकि उच्च न्यायालय द्वारा ₹70,22,520/- निर्धारित की गई थी। वर्तमान स्थिति में कुल क्षतिपूर्ति ₹80,67,870/- + ₹6,61,371/- = ₹87,29,241/- होती है।

11. अब हम 'वेदना एवं कष्ट' के मद में क्षतिपूर्ति की वृद्धि के लिए दावेदार-अपीलकर्ता की प्रार्थना पर विचार करते हैं। यह विवादित नहीं है कि दावेदार-अपीलकर्ता को हुई चोटें गंभीर हैं और उनके उसके जीवन पर प्रभाव दीर्घकालिक, बल्कि आजीवन हैं। अभिलेख में परिशिष्ट पी-5 के रूप में संलग्न चिकित्सक, अर्थात् डॉ. एन.सी. प्रकाश, का दिनांक 6 अक्टूबर 2010 का परीक्षण इस प्रकार है:

"5. मैं यह भी निवेदन करता हूँ कि हाल ही में मैंने दिनांक 30-09-2010 को दिव्यांगता के आकलन हेतु रोगी का परीक्षण किया। वह निम्नलिखित शिकायतें करता है:"

a. C-7 डर्माटोम के नीचे कोई संवेदना नहीं।

b. आंत्र एवं मूत्र प्रणाली की संवेदना समाप्त।

c. गर्दन के नीचे कोई नियंत्रण नहीं।

d. प्रत्येक गतिविधि के लिए सहायता की आवश्यकता।

6. परीक्षण करने पर मैंने निम्नलिखित पाया:

वर्तमान में वह व्हीलचेयर पर निर्भर है, दोनों निचले अंगों में कोई भी गति नहीं है (ग्रेड 0/5), तथा दोनों ऊपरी अंगों में समीपस्थ भाग में न्यूनतम गति है, जबकि कलाई अत्यंत कमजोर है (1/5 शक्ति) और पकड़ संभव नहीं है। उसे मूत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है, आंत्र की संवेदना भी नहीं है और वह मूत्र कैथेटर पर निर्भर है। उसे दैनिक जीवन की सभी गतिविधियों के लिए सहायता की आवश्यकता होती है। वह एल.एम. ग्लास फाइबर्स इंडिया प्रा. लि. में सहायक टीम लीडर था और अब कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है। उसके आगे सुधार की लगभग कोई संभावना नहीं है और यह अक्षमता स्थायी रहने की संभावना है। समग्र रूप से उसे पूरे शरीर में लगभग 85% दिव्यांगता है।"

12. यह ध्यान देने योग्य है कि अधिकरण तथा उच्च न्यायालय, दोनों ने दावेदार-अपीलकर्ता द्वारा झेली गई दिव्यांगता को 100% माना है। हमें भिन्न दृष्टिकोण अपनाने का कोई आधार नहीं मिलता है।

13. यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है कि 'वेदना एवं कष्ट' एक ऐसी अवधारणा है जो सटीक परिभाषा से परे है, तथापि हम केवल कुछ प्राधिकारों, विद्वत् तथा न्यायिक दोनों, का उल्लेख कर सकते हैं, जिनमें इसके आयामों को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है।

13.1 पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन में 'वेदना एवं कष्ट' शब्द की प्रविष्टि इस प्रकार है:

"**वेदना एवं कष्ट**. 'वेदना एवं कष्ट' का अर्थ शारीरिक असुविधा एवं पीड़ा होता है और इसमें मानसिक तथा भावनात्मक आघात भी सम्मिलित होते हैं, जिनके लिए दुर्घटना दावे में क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है।"

यह अभिव्यक्ति लगभग एक प्रचलित विधिक पद बन गई है, जिसका उपयोग 'वेदना' और 'कष्ट' के बीच सूक्ष्म अंतर किए बिना किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा सहन की जाने वाली वेदना एवं कष्ट का मूल्य किसी भी गणितीय गणना द्वारा धनराशि में निर्धारित नहीं किया जा सकता। अतः न्यायालय ऐसी राशि प्रदान करता है जो परंपरागत प्रकृति की होती है [मेडियाना, द (1900) एसी 113, 116]।"

13.2 एरिक कैसल, एक अमेरिकी चिकित्सक एवं जैव-नीतिशास्त्री, 'वेदना' को केवल एक संवेदना के रूप में ही नहीं, बल्कि 'कारणों, रोगों तथा उनके परिणामों के संबंध में विश्वासों में निहित अनुभव' के रूप में परिभाषित करते हैं, तथा 'कष्ट' को 'ऐसी घटनाओं से जुड़ी गंभीर पीड़ा की अवस्था, जो व्यक्ति की अखंडता को संकट में डालती हैं' के रूप में वर्णित करते हैं।

13.3 इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पेन के जर्नल में प्रकाशित एक हालिया लेख में यह अभिलिखित किया गया है कि वेदना-संबंधी कष्ट की अवधारणा में वास्तव में क्या सम्मिलित है, इस पर कोई सर्वसम्मति नहीं है, और प्रायोगिक अध्ययनों में इसे प्रायः सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया जाता। लेखकों ने अपने व्यवस्थित समीक्षा में जैव-नीतिशास्त्र, चिकित्सा-नीतिशास्त्र, मनो-ऑन्कोलॉजी, एनेस्थीसियोलॉजी, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र आदि विभिन्न अनुशासनों के 111 लेखों का विश्लेषण किया, जिनमें से कुछ का उल्लेख किया जा सकता है:

13.3.1 यूजीन वी. बोइसौबिन, जो वर्तमान में ह्यूस्टन स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में प्रोफेसर हैं, ने 1989 के एक लेख में इसे इस प्रकार परिभाषित किया है: "कष्ट व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाता है और यह व्यक्ति की एक जटिल सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक इकाई के रूप में उसकी अखंडता पर उत्पन्न खतरों से उत्पन्न होता है।"

13.3.2 एंड्रयू एडगर, जो वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम के कार्डिफ़ विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के रीडर एमेरिटस हैं, ने 2007 के एक लेख में 'कष्ट' को इस प्रकार परिभाषित किया है: "जीवन के कभी बेहतर न होने का अनुभव, जो पीड़ित व्यक्ति में केवल असुरक्षा, निरर्थकता और असमर्थता को प्रकट करता है।"

13.3.3 आर्थर डब्ल्यू. फ्रैंक, समाजशास्त्र विभाग, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के प्रोफेसर एमेरिटस, ने अपने प्रसिद्ध लेख "क्या हम कष्ट पर शोध कर सकते हैं?" (2001) में यह अवलोकन किया कि "कष्ट के मूल में यह अनुभूति होती है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जो अपरिवर्तनीय रूप से गलत है, और 'गलत' वह है जो 'सही' हो सकता था उसका निषेध है। कष्ट की परिभाषा करना कठिन है क्योंकि यह उस वास्तविकता का रूप है जो 'नहीं' है।"

13.3.4 डैरिल पुलमैन, जो वर्तमान में कनाडा के मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूफाउंडलैंड में जैव-नीतिशास्त्र के विश्वविद्यालय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, ने 2002

के अपने लेख में 'कष्ट' को इस प्रकार परिभाषित किया है: "(शारीरिक), मनोवैज्ञानिक, आर्थिक अथवा अन्य कारकों का परिणाम, जो किसी व्यक्ति को उसके महत्वपूर्ण जीवन-परियोजनाओं के अनुसरण में बाधित करते हैं।"

13.4 यूनाइटेड किंगडम में ज्यूडिशियल स्टडीज बोर्ड, जिसे अब ज्यूडिशियल कॉलेज के नाम से जाना जाता है, ने 1992 में अवार्डों में अधिक संगति लाने तथा न्यायिक मूल्यों के मानक को अधिक सुलभ बनाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश पूर्व मामलों के अध्ययन तथा उनमें प्रदत्त क्षतिपूर्ति की सीमा के परीक्षण के आधार पर तैयार किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों का नवीनतम संस्करण वर्ष 2021 में प्रकाशित हुआ। इनमें 'वेदना एवं कष्ट' की गणना की कठिनाई को इस प्रकार अभिलिखित किया गया है:

"यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि वेदना एवं कष्ट के लिए सामान्य क्षतिपूर्ति का निर्धारण एक कुछ कृत्रिम कार्य है। इसमें न्यायाधीश को किसी विशिष्ट दावेदार द्वारा सहन की गई वेदना एवं कष्ट को एक ऐसी धनराशि में परिवर्तित करना होता है, जिसे वह क्षतिपूर्ति के रूप में युक्तिसंगत मानता/मानती है। यह एक कठिन कार्य है और ऐतिहासिक रूप से इसके परिणामस्वरूप न्यायाधीशों द्वारा तुलनात्मक रूप से समान चोटों के मामलों में भी क्षतिपूर्ति की राशि में व्यापक भिन्नता रही है–जो न केवल विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल है, बल्कि अनावश्यक अपीलों तथा अतिरिक्त व्यय को भी जन्म देती है, इसके अतिरिक्त ऐसे अपीलों से न्यायालय के सीमित संसाधनों पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है।"

13.5 गैर-आर्थिक क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते समय, क्षतिपूर्ति की गणना की कृत्रिम प्रकृति को हील बनाम रैंकिन, जैसा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ सेंट हेलेना बनाम ए.बी. एवं अन्य में संदर्भित किया गया है, में इस प्रकार रेखांकित किया गया है:

"23. 'पूर्ण क्षतिपूर्ति' का यह सिद्धांत आर्थिक तथा गैर-आर्थिक, दोनों प्रकार की क्षति पर समान रूप से लागू होता है। किन्तु, जैसा कि डिक्सन जे. ने एंड्रूज़ बनाम ग्रैंड एंड टॉय अल्बर्टा लिमिटेड, 83 DLR (3d) 452, 475-476 में अपने निर्णय से उद्धृत अंश में संकेत किया है, यह कथन तत्काल एक समस्या उत्पन्न करता है, जब प्रश्न यह हो कि गैर-आर्थिक क्षति के लिए 'पूर्ण क्षतिपूर्ति' का उपयुक्त स्तर क्या हो, जबकि उस क्षतिपूर्ति को आर्थिक रूप में व्यक्त करना आवश्यक हो। वेदना एवं कष्ट, कार्यक्षमता की हानि, सुविधाओं की हानि तथा दिव्यांगता, जो किसी घायल व्यक्ति ने सहन की है, को धनराशि

में परिवर्तित करने का कोई सरल सूत्र नहीं है। इस प्रकार का कोई भी रूपांतरण मूलतः कृत्रिम ही होगा। लॉर्ड पियर्स ने एच. वेस्ट एंड सन लिमिटेड बनाम शेफर्ड [1964] एसी 326, 364 में इसे इस प्रकार अभिव्यक्त किया है:"

'न्यायालय को यह कठिन एवं कृत्रिम कार्य करना होता है कि वह शारीरिक चोट, वंचना एवं वेदना को धनराशि में परिवर्तित करे और उस राशि के लिए निर्णय दे जिसे वह युक्तिसंगत मानता है। वह निर्णय के परे जाकर इस बात पर विचार नहीं करता कि उस क्षतिपूर्ति राशि का व्यय किस प्रकार किया जाएगा।'

"24. इस कथन का अंतिम भाग निस्संदेह सही है। घायल व्यक्ति अपनी प्राप्त क्षतिपूर्ति का आनंद लेने की स्थिति में भी न हो सकता है, क्योंकि उसे जो चोट लगी है। लॉर्ड क्लाइड ने वेल्स बनाम वेल्स [1999] 1 एसी 345, 394H में इसे स्वीकार करते हुए कहा: 'एक स्पष्ट सिद्धांत यह है कि सफल वादी वास्तव में इस पुरस्कार राशि का क्या करेगा, यह अप्रासंगिक है।'"

13.6 संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में, 'वेदना एवं कष्ट' से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधिक साहित्य 1989 में प्रकाशित एक लेख है, जिसका शीर्षक "टॉर्ट में जीवन एवं अंगों का मूल्यांकन: वेदना एवं कष्ट का निर्धारण" है। इसके प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:

"वेदना एवं कष्ट तथा अन्य अमूर्त या गैर-आर्थिक हानियाँ और भी अधिक जटिल होती हैं। शारीरिक वेदना और उससे संबंधित कष्ट को सदियों से क्षतिपूर्ति के वैध तत्वों के रूप में मान्यता प्राप्त है, और 'आधुनिक' टॉर्ट विधि में मानसिक पीड़ा के विभिन्न रूपों के लिए क्षतिपूर्ति के अधिकार में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। कुछ न्यायालयों ने तो ऐसी भावनात्मक आघात के लिए भी क्षतिपूर्ति की अनुमति दी है जो शारीरिक चोट के बिना हो, जिसमें परिवार के सदस्यों को लगी चोटों से उत्पन्न व्युत्पन्न हानियाँ भी सम्मिलित हैं। प्रतिपूरणीय गैर-आर्थिक हानि के सटीक तत्व विभिन्न न्यायक्षेत्रों में भिन्न होते हैं। 'वेदना एवं कष्ट' का उपयोग प्रायः एक समग्र श्रेणी के रूप में किया जाता है, जिसके अंतर्गत जूरी गैर-घातक चोट के मामलों में सभी गैर-आर्थिक हानियों पर विचार करती है, जिसमें मानसिक पीड़ा और अपमान जैसे अन्य गुणात्मक पहलू भी समाहित होते हैं। तथापि, अधिक सामान्यतः अन्य गैर-आर्थिक तत्व– जैसे 'जीवन के आनंद की हानि'– को स्वतंत्र रूप से भी मान्यता दी जाती है ..."

एक अन्य महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि:

"किसी भी न्यायक्षेत्र में गैर-आर्थिक क्षतिपूर्ति की जो भी श्रेणियाँ अनुमत हों, विधि उनके मूल्यांकन के लिए कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड प्रदान नहीं करती। जैसा कि एक टिप्पणीकार ने कहा है, 'न्यायालय प्रायः यह कहकर संतुष्ट हो जाते हैं कि वेदना एवं कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति 'न्यायसंगत' या 'युक्तिसंगत' होनी चाहिए, परंतु इसके लिए कोई निश्चित मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं होता।'

13.6 उपर्युक्त के विचार से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि प्रत्येक अनुशासन में वेदना/कष्ट के अर्थ की अपनी-अपनी अवधारणा है, तथापि उनके अंतर्गत जो समान तत्व उभरकर आता है वह यह है कि निरंतर कष्ट के कारण व्यक्ति की स्वयं के प्रति समझ अपनी मूल जड़ों तक हिल जाती है या प्रभावित हो जाती है। वर्तमान तथ्यों में यह निर्विवाद है कि जीवन में कुछ अपरिवर्तनीय रूप से गलत होने का भाव, जैसा कि फ्रैंक (उपर्युक्त) ने कहा है, तथा असुरक्षा एवं निरर्थकता, जैसा कि एडगर ने वर्णित किया है, विद्यमान है और ऐसा भाव उसके शेष प्राकृतिक जीवन भर बना रहेगा।

14. 'वेदना एवं कष्ट' के संबंध में, उन मामलों में जहाँ झेली गई दिव्यांगता 100% है, हम इस न्यायालय के कुछ निर्णयों का उल्लेख कर सकते हैं:

14.1 आर. डी. हट्टंगडी बनाम पेस्ट कंट्रोल (इंडिया) (प्रा.) लिमिटेड में यह अवलोकन किया गया:

"17. क्रम संख्या 16 के अंतर्गत 'वेदना एवं कष्ट' तथा क्रम संख्या 17 के अंतर्गत जीवन की सुविधाओं की हानि के लिए किए गए दावे गैर-आर्थिक हानि के दावे हैं। अपीलकर्ता ने इन दोनों मदों के अंतर्गत ₹3,00,000-₹3,00,000 की एकमुश्त राशि का दावा किया है। उच्च न्यायालय ने ₹6,00,000 के दावे के विरुद्ध ₹1,00,000 प्रदान किए हैं। जब 'वेदना एवं कष्ट' तथा जीवन की सुविधाओं की हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान की जानी हो, तो दावेदार की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिसमें उसकी आयु, उसे हुई असामान्य वंचना तथा उसके भावी जीवन पर उसके प्रभाव को शामिल किया जाता है। गैर-आर्थिक हानि के लिए क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण सरल नहीं है, किन्तु अवार्ड में यह परिलक्षित होना चाहिए कि विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया है। हमारे मत में, चूँकि अपीलकर्ता एक अधिवक्ता था जिसकी विभिन्न न्यायालयों में अच्छी प्रैक्टिस थी और दुर्घटना के कारण वह अपंग हो गया है तथा केवल व्हीलचेयर पर ही

चल-फिर सकता है, अतः उच्च न्यायालय को 'वेदना एवं कष्ट' के दावे के संबंध में ₹1,50,000 तथा जीवन की सुविधाओं की हानि के संबंध में ₹1,50,000 की राशि प्रदान करनी चाहिए थी। हम ₹6,00,000 के दावे के विरुद्ध 'वेदना एवं कष्ट' तथा 'जीवन की सुविधाओं की हानि' के मदों के अंतर्गत ₹3,00,000 (केवल तीन लाख रुपये) के भुगतान का निर्देश देते हैं।"

जोर दिया गया

14.2 इस निर्णय का हाल ही में इस न्यायालय द्वारा सिद्राम बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में संदर्भ दिया गया। कर्नाटक एसआरटीसी बनाम महादेवा शेट्टी में भी संदर्भ किया गया (यद्यपि दिव्यांगता के प्रतिशत की परवाह किए बिना, उक्त अवलोकन मार्गदर्शक हैं), जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया:

"18. कोई व्यक्ति दुर्घटना के कारण न केवल शारीरिक चोटें सहन करता है, बल्कि वह अपने जीवन भर मानसिक एवं शारीरिक रूप से भी पीड़ा का अनुभव करता है और उसमें यह भावना विकसित हो जाती है कि वह अब एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहा तथा वह जीवन की सुविधाओं का आनंद एक अन्य सामान्य व्यक्ति की भाँति नहीं ले सकता। 'वेदना एवं कष्ट' तथा जीवन की सुविधाओं की हानि के लिए क्षतिपूर्ति निर्धारित करते समय, उसकी आयु, वैवाहिक स्थिति तथा उसके जीवन में हुई असामान्य वंचना जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

14.3 काजल बनाम जगदीश चंद में, मामले के तथ्यों–अर्थात् 100% दिव्यांगता, बालिका का आजीवन शैय्याग्रस्त होना, उसकी मानसिक आयु का जीवन भर नौ माह के शिशु के समान होना–एक वनस्पति समान अवस्था–को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया कि "यहाँ तक कि मामले को रूढ़िवादी दृष्टिकोण से देखने पर भी, इस बालिका के 'वेदना एवं कष्ट' के लिए देय राशि कम से कम ₹15,00,000/- होनी चाहिए।" आयुष बनाम रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में, काजल (उपर्युक्त) पर भरोसा करते हुए, 'वेदना एवं कष्ट' के मद में प्रदान की गई राशि को बढ़ाकर ₹10,00,000/- किया गया। दुर्घटना से पीड़ित बालक की आयु पाँच वर्ष थी और न्यायालय ने पैरा 2 में यह उल्लेख किया कि: "डिस्चार्ज प्रमाणपत्र के अनुसार, अपीलकर्ता अपने दोनों पैरों को हिला नहीं सकता था और उसके पैरों में पूर्ण संवेदनहीनता थी, मूत्र असंयम, आंत्र कब्ज तथा बेड सोर्स थे। अपीलकर्ता की आयु दुर्घटना की तिथि पर लगभग 5 वर्ष थी, अतः उसने अपना बचपन

खो दिया है और वह अपने दैनिक कार्यों के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर है।"

14.5 लालन डी. (उपर्युक्त) में, जिसका उल्लेख दावेदार-अपीलकर्ता द्वारा किया गया है, अधिकरण ने ₹30,000/- प्रदान किए थे, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाकर ₹40,000/- कर दिया गया। तथापि, यह ध्यान में रखते हुए कि वहाँ के अपीलकर्ता को व्यापक मस्तिष्क चोट लगी थी, 'वेदना एवं कष्ट' के मद में ₹3,00,000/- की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई।

15. उपर्युक्त संदर्भित निर्णयों, हुई चोटों, उससे उत्पन्न 'वेदना एवं कष्ट', दावेदार-अपीलकर्ता पर आई आजीवन दिव्यांगता की प्रकृति तथा उपर्युक्त रूप में उद्धृत चिकित्सक के कथन को दृष्टिगत रखते हुए, हम दावेदार-अपीलकर्ता के निवेदन को न्यायोचित पाते हैं और तदनुसार 'वेदना एवं कष्ट' के मद में ₹15,00,000/- प्रदान करते हैं। यह जानते हुए भी कि दावेदार-अपीलकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति की वृद्धि हेतु प्रार्थना ₹10,00,000/- की थी, हम प्रदान की गई उक्त राशि को न्यायसंगत, उचित एवं युक्तिसंगत पाते हैं।

16. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त अवार्ड में केवल दो बिंदुओं पर संशोधन किया है, अर्थात् भावी संभावनाएँ तथा 'वेदना एवं कष्ट'। बढ़ाई गई राशि पर 6% वार्षिक ब्याज, विशेष अनुमति याचिका दायर करने की तिथि से देय होगा। पैरा 10 के अनुसार, प्रदान की जाने वाली क्षतिपूर्ति ₹87,29,241/- निर्धारित थी। 'वेदना एवं कष्ट' के संबंध में उपर्युक्त विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप, अब कुल देय राशि ₹95,67,870/- है।

17. उपर्युक्तानुसार अपील स्वीकृत की जाती है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निस्तारण किया जाता है।

18. कोई व्यय नहीं।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकृत

† शीर्ष टिप्पणियां निधि जैन द्वारा तैयार की गईं।

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|